न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 46/2019

1–पंकज अग्रवाल पुत्र बद्रीनारायण जाति अग्रवाल निवासी नांवा तहसील नांवा जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1.–सरकार जरिये पटवारी हल्का नावां, तहसील नावां जिला नागौर

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री अजीत सिंह राठौड़, श्री वी.पी.सिंह राठौड़ व नेमीचन्द शर्मा अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से ।

अपील विरूद्ध निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा तहसीलदार बअनुवान सरकार जरिये पटवारी हल्का, नांवा बनाम गोतम कुमार, मु0सं0 37/19 निर्णय दिनांक : 05.07.2019 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट का निरस्त करने बाबत।

अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक :10.02.2021

{1} –मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार नांवा द्वारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 37/2019 सरकार बनाम पंकज अग्रवाल में निर्णय दिनांक 05.07.2019के तहत मौजा ग्राम सांभर झील नावां के खसरा नं0 01 रकबा 0.18 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील भूमि पर नमक क्यार बनाकर व पूर्व में भी सम्वत 2074 में अतिक्रमण करने पर पंकज अग्रवाल के खिलाफ भौतिक रूप से वेदखली व शास्ति तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का दोषी होने से पंकज अग्रवाल के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

के तहत पंकज अग्रवाल को तीन माह के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया तथा भौतिक रूप से बेदखली का तथा लगान दर का पच्चास गुना से 36 रू0 अक्षरे छतीस रू0 की शास्ती आरोपित की गयी। उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर दिनांक 10.07.2019 को अप्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील दिनांक 10.07.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधिनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड मंगाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में, अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय 05.07.2019 की फोटोप्रति, अधिनस्थ न्यायालय की समस्त आदेशिका, पटवारी रिपोर्ट, नोटिस, बयान पटवारी, फर्द बेदखली, गिरफतारी वारण्ट की प्रमाणित प्रतियॉ, संपरिवर्तन आदेश की छायाप्रति पेश की गयी।

{2} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{2}(1) –यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय करने में कानूनी व वाकियाती गलती की है। जिससे अपील स्वीकार होने योग्य है।

{2}(2) –यह है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06.2019 को जारी नोटिस दिनांक 02.07.2019 की पेशी हेतु जारी किया गया । उक्त नोटिस अपीलार्थी को कभी नहीं मिला एवं उक्त नोटिस पर अपीलार्थी का स्थायी पता ग्राम नांवा तहसील नांवा पर जारी किया गया नोटिस की तामिल आबाद मकान पर चस्पानगी में बताया गया ।

{2}(3) – यह है क उक्त नोटिस पर केवल मात्र एक मोतबीरान कानाराम पुत्र हुक्माराम जाति अहिर निवासी नावां के होना बताया गया है, जबकि नियमानुसार दो मौतबीरान के हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है तथा जबकि अपीलार्थी के गांव सें करीब 30–35 किमी दूर के व्यक्ति है। उक्त नोटिस चस्पानगी भी कानून के विरूद्ध जाकर करवाये है। जिससे अपील स्वीकार की जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

{2}(4) – यह है कि अपीलार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी कभी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तरीके से नहीं दी गई एवंम न ही अपीलार्थी को उक्त प्रकरण की लेस मात्र जानकारी ही थी। अपीलार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी दैनिक अखबार द्वारा दिनांक 06.07.2019 को ही प्राप्त हुई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर उक्त आलौच्य निर्णय की जानकारी हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून को ताक में रखकर केवल राजनैतिक द्वैषता वश निर्णय किया है, जो काबीले निरस्त है।

{2}(5) – यह है कि अपीलार्थी ने संपरिवर्तन आदेश दिनांक 18.02.2014 के द्वारा खसरा नम्बर 82 रकबा 02.47 हैक्टेयर भूमि प्राप्त कर रखी है। जिस भूमि का मौके पर नजरी नक्शा भी बना हुआ है। उक्त भूमि के अलावा अपीलार्थी ने अन्य किसी भूमि पर या सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं कर रखा है। जिससे भी यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

{2}(6) – यह है कि अपीलार्थी के नाम जितनी भूमि की लीजडीड जारी की हुई है, उससे अधिक या कसी भी सरकारी भूमि पर एक ईन्च भूमि पर अतिकमण नहीं कर रखा है। मौके पर अपीलार्थी का आज भी संबंधित कार्यालय में जारी नक्शा के अनुसार ही आज भी है। मगर अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जानकारी व विना किसी विधिक कार्यवाही किये ही एक पक्षीय निर्णय कर दिया, जिससे भी यह स्वीकार की जाने योग्य है।

{2}(7) – यह है कि अपीलार्थीगण को उक्त प्ररकण के अलावा सम्वत् 2074 या कभी अतिक्रमण बाबत न तो नोटिस ही दिया, न ही अपीलार्थी ने कसी सरकारी भूमि पर ही अतिक्रमण किया था या है एवं पश्चातवर्ती निर्णय की पत्रावली भी उक्त पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। इसलिए अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रैणी में नहीं आता है एवं उक्त प्रकरण संबंधि कोई भी दस्तावेज उक्त पत्रावली में भी नहीं है। जिससे भी यह अपील स्वीकार की जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

Scanned with CamScanner

{2}(8) – यह है कि उक्त प्रकरण में पत्रावली में कभी भी बहस हेतु नियत नही की गयी एवं ऑडरशीट में बहस अन्तिम कभी भी नहीं लिखा हुआ है।जिससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजनैतिक द्वेषता वंश उक्त निर्णय किया जो काबिले निरस्त है।

{2}(9) –यह है कि परिवादी हल्का पटवारी ने अपने परिवाद के समर्थन में बयान अवश्य लिखे है, मगर पटवारी हल्का ने बयान किस तारीख को एवम किस धारा में तथा उक्त बयान पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा कोई भी दस्तावेज का कानूनन कोई महत्व नहीं हैं जिससे भी यह अपील स्वीकार होने योग्य है।

{3} – बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का नांवा की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भ0अ0निरीक्षक नावां द्वारा कि गयी, जिसके अनुसार अप्रार्थी द्वारा ग्राम साभंर झील, नावां के खसरा नम्बर 01 रकबा 0.18 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील पर नमक क्यार, बनाकर अतिक्रमण किया है,तथा पूर्व मे भी सम्वत 2074 से अतिक्रमण करना पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका 2.7.19 के अवलोकन से साबित होता है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस वाद तामील होने के उपरान्त भी अनुपस्थित होना अभिलेख से साबित होता है। उक्त गै0मु0 झील सरकारी भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जाना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता हे। अप्रार्थी ने 30.07.19 की पटवारी हल्का नावां की मौका बेदखली फर्द रिपोर्ट भी पेश की है, जिसके अनुसार मौके पर से अतिकमित रकबा से अतिकमी ने स्वयं कब्जा हटा लिया जाना अंकित किया है, जिससे हस्तगत सिवायचक भूमि को उसके द्वारा कब्जे राज भी ले लिया गया है। जिसमें 3 माह का सिविल कारावास भी दिया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट ने स्वयं राजकीय भूमि से स्वतः कब्जा हटा लिया जाने से सहानुभूतिपूर्वक 3 माह के सिविल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

कारावास की सजा को माफ किया जाना उचित होने से अधिनस्थ न्यायालय का फैसला बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाना उचित है।

:::: आ दे श ::::

अपीलान्ट की अपील पर सहानुभुति पूर्वक विचार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.07.2019 में दी गयी 3 माह की सिविल कारावास की सजा निरस्त करते हुवे अधिनस्थ न्यायालय का बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	...इस हुक्म की ता... जारी हुए
2.3.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 152 CPC पेश कर निवेदन किया है कि अपील सं. 46/2019 में पारित निर्णय दिनांक 10.2.2021 में भूलवश या लिपिकीय त्रुटी की वजह से अपील के पक्षकारों में से केवल पंकज अग्रवाल का ही नाम लिखा गया है जबकि उक्त अपील में अपीलार्थी सं. 2 विनित अग्रवाल पुत्र रामअवतार अग्रवाल निवासी मिठड़ी हट. नावां का नाम नहीं लिखा गया है। उक्त अपील विरुद्ध निर्णय व आज्ञप्ति पटवारी हल्का, नावां बनाम पंकज अग्रवाल, विनित अग्रवाल मु.नं. 37/19 दिनांक 5.7.2019 के विरुद्ध पेश की गयी है जिसे भी सुधार किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। निर्णय की प्रति प्रार्थना-पत्र के संलग्न पेश की गयी है।	

प्रार्थना-पत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट एक श्री पंकज अग्रवाल पुत्र श्री बद्रीनारायण जाति अग्रवाल निवासी नावां एवं दो श्री विनित अग्रवाल पुत्र श्री रामअवतार जाति अग्रवाल निवासी मिठड़ी हट. नावां जिला नागौर है तथा निर्णय में अधिवक्ता के नीचे दिए गए पैराग्राफ में उपस्थित की दूसरी पंक्ति में गौतम कुमार अंकित है जबकि यहां पर पंकज अग्रवाल होना चाहिए था। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 10.2.2021 को पारित आदेश में निम्न प्रकार संशोधन स्वीकार किया जाता है :-

अपील संख्या 46/2019

अपीलान्ट :-

1. पंकज अग्रवाल पुत्र श्री बद्रीनारायण जाति अग्रवाल निवासी नावां
2. विनित अग्रवाल पुत्र श्री रामअवतार जाति अग्रवाल निवासी मिठड़ी [illegible] नावां जिला नागौर राज0

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-

1. सरकार जरिये पटवारी हल्का नावां

उपस्थित अधिवक्ता

1. श्री अजीत सिंह राठौड़, श्री वी.पी. सिंह राठौड़ व नेमीचंद [illegible] अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से

अपील विरुद्ध निर्णय द्वारा [illegible] अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	श्री ओमप्रकाश शर्मा तहसीलदार बउनवान सरकार जरिये पटवारी-हल्का, नांवा बनाम पंकज अग्रवाल, वगै० मु.नं. 37/19 निर्णय दिनांक 5.7.2019 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट को निरस्त करने बाबत। यह संशोधन प्रकरण सं. (अपील) 46/2019 का भाग होगा। प्रार्थना-पत्र तदनुसार निर्णित किया जाता है। [signature] अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना	

Scanned with CamScanner